



प्राचार्य का कार्यालय  
लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान  
छपरा -841302

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं०:- 75

छपरा/दिनांक :- 16/07/2020

गृह विभाग बिहार सरकार के पत्रांक सं० जी/आपदा- 06.06.2020/88 (वि०स०को०) पटना दिनांक 14 जूलाई 2020 (संलग्न) के आदेशानुसार बिहार में सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 16.07.2020 से 31.07.2020 तक बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था जारी रहेगा। कार्यालय खुला रहेगा। इस कार्यालय आदेश सं० 73 दिनांक 16.07.2020 के आलोक में नियुक्त अभिरक्षक इस अवधि में संस्थान में उपस्थित रहेंगे तथा संस्थान का देख-रेख हेतु जिम्मेदार होंगे। सभी शिक्षकों एवं कर्मचारी को मुख्यालय में रहना है एवं मोबाईल फोन पर हमेशा बने रहना है। अगर कोई जरूरी काम पड़ता है, तो मोबाईल / व्हाट्सपप पर ही निपट दे। जरूरत पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है। इसके लिए वे हमेशा तैयार रहे। मोबाईल फोन पर उपलब्ध नहीं रहने वाले कर्मियों तथा शिक्षकों आदेश के अवहेलना हेतु जिम्मेदार समझा जायेगा। सभी कर्मियों को अपने घर (मुख्यालय) से कार्य करने का अनमति प्रदान किया जाता है।

अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार परीक्षा संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। सभी शिक्षकों को यह आदेश दिया जा रहा है कि अपने छात्रों के बीच मेल ग्रुप या व्हाट्सपप ग्रुप बनाकर समन्वय रखे। इसके उपरांत व्हाट्सपप / ईमेल ग्रुप पर परीक्षा के दौरान परेशानिया को दूर करें। प्रो० जफर आयुब अंसारी परीक्षा नियंत्रक एवं श्री शिवम कुमार सहायक परीक्षा नियंत्रक को निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा के दौरान सही तरह से निगरानी करे तथा परीक्षा को सफल बनाने में अपना योगदान दे। इसके उपरांत अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। किसी शिक्षक एवं कर्मियों द्वारा बिना कोई सूचना के मुख्यालय छोड़ने पर बिहार सेवा संहिता के छुट्टी के नियमों के अनुरूप कारवाई किया जायेगा। यह आदेश राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सिवान, गोपालगंज एवं कैमूर के लिए समान रूप से लागू होगा। शिक्षकों और कर्मचारी को निर्देशित है अपने-अपने मोबाईल नं० Address (मुख्यालय) का Email द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दे दे। GPS द्वारा उनके मोबाईल की Location प्राप्त की जायेगी।

*Sulhane*  
16/7/2020  
प्राचार्य

लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान,  
छपरा

सरकारी सेवक आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत कराकर मुख्यालय छोड़ना चाहे उसे अपना आवेदन में अपना पता दे देना चाहिए जहाँ पर वह इस छुट्टी में रहेंगे। यदि सरकारी सेवक के आकस्मिक छुट्टी पर अनुपस्थित होने से लोक सेवा में किसी तरह की कार्य में हानि होगी तो छुट्टी देने वाला एवं छुट्टी लेने वाला दोनों उत्तरदायी ठहराये जायेंगे (बिहार सेवा संहिता परिशिष्ट 13 नियम 166 पुष्ठ 76) बिहार सेवा संहिता में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोई भी सरकारी सेवक समुचित अधिकार के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकता है। इस कारण सरकारी सेवक को अनुपस्थिति के अवधि का वेतन नहीं मिलेगा। (बिहार सेवा संहिता नियम 56-60 प्र०-14-15) पुनः बिहार सेवा संहिता नियम 165 के अनुसार छुट्टी सम्पत्ति के बाद भी कर्तव्य से जानबूझ कर अनुपस्थित रहना बिहार सेवा संहिता के नियम 56 के प्रयोजनार्थ कदाचार समझा जायेगा।

*Sulhane*  
16/7/2020